तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तलब बाद किया गया है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यो को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की कस्बे काश्त की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी का 1/12 हिस्सा वादग्रस्त भूमि मे निहित है। अप्रार्थीगण मात्र कागजी बेचान के आधार पर मेरी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाह रहे है। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी के पक्ष मे पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 28.07.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले इजलास में सुनाया गया। [signature] 10/6/24	